संख्या-78/2017/आर-1246/26-3-2017-4(रिट)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 17 मई, 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-11630/2016 अंकुर कुमार व 70 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.08.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-578/सक/शिक्षा-अ/01/116/2017-18, दिनांक-03.05.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-30.08.2016 अनुपालन में याची छात्रों की वर्ष 2015-16 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-71.6099 लाख (रूपया इक्हत्तर लाख साठ हजार नौ सौ नब्बे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से भुगतान की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है।

2- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-78/2017/आर-1246(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in